वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वजटीय प्रावधान किया है,

1. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) की बिहार, पश्चिम बंगाल तथा समय राज्यों में स्थित इकाईयां।

2. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आप इंडिया लि. (एफसीआई) की बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में स्थित इकाईयां।

3. उड़ीसा राज्य में पारादीप फास्फेट्स लि. (पीपीएल)।

4. प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि. (पीडीआईएल) की बिहार, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में स्थित प्रभाग/इकाईयां।

5. पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि. (पीपीसीएल) के बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान राज्य में स्थित इसके संयंत्र/प्रभाग।

(घ) से (च) रुग्ण इककों के पुनरुद्वार पैकेजों को अनुमोदन करने का उत्तरादायित्व औद्योगिक एंव वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को दिया या है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नीजि उर्वरक क्षेत्र की निम्नलिखित 7 कंपनियों को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के अंतर्गत रुग्ण कंपनियों के रूप में दर्ज किया गया था:

(1) गंगा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.

(2) रांमगंगा फर्टिलाइजर्स लि.

(3) श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स लि.

(4) मित्तल फर्टिलाइजर्स लि.

(5) श्री दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर्स लि.

(6) त्रिमृति फर्टिलाइजर्स लि.

(7) महादेव फर्टिलाइजर्स लि.

गंगा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. , राम गंगा फर्टिलाइजर्स लि. तथा श्री निवास फर्टिलाइजर्स लि. को क्रमश: 17-12-96 7-9-94 और 2-1-96 को बीआईएफआर द्वारा मंजूरी दी गई थी। बीआईएफआर ने मित्तल फर्टिलाइजर्स लि. और श्री दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर्श लि. को क्रमश: 15-4-96 और 26-7-96 को बंद किए जाने की सिफारिश की गई थी। त्रिमुर्ति फर्टिलाइजर्स लि. को बंद करने की सूचना 16-4-96 को जारी की गई है। मैसर्स महादेव फर्टिलाइजर्स लि. की बीआईएफआर जांच पड़ताल कर रही है।

मध्य प्रदेश राज्य में स्थित कोई रुग्ण उर्वरक कंपनी बीआईएफआर में दर्ज नहीं की गई है।

जहां तक उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणधीन रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् एचएफसी.एफसीआई तथा पीडीआईएल का संबंध है, इनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनके संपंन्नों में आवश्यक प्रतिस्थापन/नवीकरण करने हेतु कंपनियों को सक्षम बनाने के लिए सरकार बजटीय सहायता प्रदान कर रही है।

औवधियों की कीमतों में वृद्धि

1124. **श्री अजीत जोगी:**
श्री वी. हनुर्मत राव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान औषधियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) सरकार द्वारा देश में औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, और

(घ) क्या सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप जीवन-रक्षक औषधियों की कीमतों में कमी आने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) से (घ) यह सच नहीं है कि पिछले वर्ष के दौरान चवाइयों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कोई अपसामान्य वृद्धि नहीं पाई गई है। अन्य वस्तुओं की तरह दवाइयों की कीमतों में वृद्धि अपरिहार्य होती है क्योंकि पैकेजिंग कच्चा माल आदि अत्तव्रातुओं की कीमतें बढ़ने आदि के कारण दवाइयों की कीमतों में कुछ वृद्धि होना आवश्यभावी है। 1996-97 में औषधों तथा दवाइयों के थोक मूल्य सूचकांक (1981-82=100) में 2.93 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि अन्य सभी वस्तुओं के लिए यह वृद्धि 6.36 प्रतिशत की हुई थी।

दवाइयों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे हैं:- औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति, अनुसंधान एंव विकास पर जोर, मूलावस्था से उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, कीमत निर्धारण तंत्र का सरलीकरण आदि। उन्मुक्त आयात, शुल्क की दरों में कमी, लाइसेंस समाप्त करने और कीमत नियंत्रण पद्धति को सरल करने से यह आशा की जाती है कि

विनिर्माताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी डजिससे दवाइयों की कीमतों में कमी होगी। किन्तु सामान्यतःकीमतों का रुख अगर एण्ड डी की उच्च लागत तथा शुरू हुए नए उत्पादों की आरम्भिक विपणन लागतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

Dealership and distributorship of Public Sector Fertiliser Companies

1125. SHRI VIRENDRA KATARIA:
SHRI S. S. SURJEWALA:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

.(a) whether it is fact that as a policy matter, dealership/distributorship of public sector' fertiliser companies are given through due advertisement and proper procedure; and

(b) whether any complaint has been received about irregularities ' and corruption in the matter?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILISERS (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) According to information available, fertiliser manufacturing Public Sector Companies have been appointing dealers/distributors by following procedure laid down by them including that of inviting application through press advertisment.

(b) Paradeep Phosphate Limited (PPL) and National Fertilisers Limited (NFL) have reportedly received one complaint each and respective managements are investigating into it.

Deforestation in Maharashtra

1126. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Governemnt's consideration for deforestation of forest land in Maharashtra;

(b) the districts covered under this scheme, and the details thereof district-wise and region-wise;

(c) the projects to benefited under the proposed scheme; and

(d) the other States who have put such proposals before the Central Governent and the action they have taken in the matter, State-wise and region-wise?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) As on 31.10.1997, a total number of 962 proposal:; have been received from the State Government of Maharashtra for diversion of forest land for non-forest purposes, under the Forest (conservation) Act, 1980.

(b) The information is being compiled and will be laid on the Table of the House..

(c) These proposals pertain to the use of forest land for various development projects; such as irrigation, mining, transmission lines, roads, drinking water supply,, etc.

(d) 'Similar proposals for diversion of forest land under the Forest (Conservation) Act, 1980 have been received from other State/U.T. Governments also. As on 31.10.1997 a total number of 7844 proposals were received by the Ministry under the Forest (conservation) Act, 1980 from various Statc/U.T. Governments. A statement showing Statewise status of these proposals is annexed.

[See Appendix 182, Annexure No. 30]

Location for Delhi Bottling Company Limited

1127. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Delhi Bottling Company Limited, located at 60, Shivaji Marg, Delhi 110 015 has obtained the consent from the Central/Delhi Pollution Control Board for operation; and